का॰ ज्ञा॰ सं॰ 14034/4/92-रा॰भा॰ (क-1) दिनांक 26.8.1992

विषय:— राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना–टेलीफोन निर्देशिकाओं को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने की अनिवार्यता

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) की धारा 3(3) के अनुसार सभी प्रकार का सूचनाओं को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किया जाना अनिवार्य है।

दूर-संचार विभाग की ओर से विभिन्न नगरों में टेलीफोन नंबरों की सूचनाएं समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराई जाती है उन सूचनाओं के संकलन के रूप में उपभोक्ताओं को टेलीफोन निर्देशिकाएं दी जाती हैं। अत: राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह अनिवार्य हो जाता है कि टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिन्दी संस्करण भी अंग्रेजी संस्करणों के साथ प्रकाशित हों। वर्तमान समय में टेलीफोन निर्देशिका के अंग्रेजी संस्करण निकलने के बाद ही हिन्दी संस्करण प्रकाशित होते है, या बिल्कुल ही प्रकाशित नहीं होते है यह अधिनियम का उल्लंघन है।

2. राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि दूर संचार विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिन्दी संस्करण भी अनिवार्य रूप से साथ ही प्रकाशित किए जाएं। वस्तुत: टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिन्दी संस्करणों की मांग एवं उपयोग बढ़ाने हेतु यह उपयुक्त होगा कि विभिन्न नगरों के दूर-संचार कार्यालय ''क'' और ''ख'' क्षेत्रों में टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करणों से पहले जारी करें। एक कूपन, जैसा कि अब लगाया जाता है, वैसा ही अलग रंगों, कागज में, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, तैयार करके निर्देशिका के दोनों रूपों में लगाया जाए, जिसमें यह पूछा जाए कि उपभोक्ता अगली टेलीफोन डायरेक्टरी हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में प्राप्त करना चाहेगा। यह भी निर्णय किया गया है कि ''क'' और ''ख'' क्षेत्रों में प्रारंभ से ही दोनों संस्करण समान संख्या में अथवा हिन्दीअंग्रेजी 40:60 के अनुपात में प्रकाशित किए जाएं ओर ''ग'' क्षेत्र में प्रारंभ हिन्दी : अंग्रेजी 30:70 के अनुपात में प्रकाशित किए जाएं (और बाद में आवश्यकता के अनुसार ''ग'' क्षेत्र में भी दोनों संस्करणों की संख्याएं समान की जा सकती हैं

3. दूर संचार विभाग से इस बारे में अनुरोध है कि अपेक्षित उपाय किए जाएं तथा की गई कार्यवाही से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराया जाए।